Reg. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2017/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, OCTOBER 21, 2017 (ASVINA 28, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st October, 2017

No. 35-HLA of 2017/90/20823.— The Haryana Vishwakarma Skill University (Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 35- HLA of 2017

THE HARYANA VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2017

A

Bill

further to amend the Haryana Vishwakarma Skill University Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Vishwakarma Skill University (Amendment) Act, 2017. Short Title.

2. In section 7 of the Haryana Vishwakarma Skill University Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), for clause (v), the following clauses shall be substituted, namely:- Amendment of section 7 of Haryana Act 25 of 2016.

"(v) to create posts and prescribe the terms and conditions of appointment of Director, Principal, University teacher, non-vacation academic staff, non-teaching skilled, administrative and ministerial staff and such other posts, as required by the University, subject to the provisions of section 35;

(w) to establish, maintain and manage, whenever necessary,-

(a) Knowledge Resource Centre;

(b) University extension boards;

(c) Information bureaus;

(d) Employment guidance bureaus;

(e) Autonomous Evaluation Boards;

(x) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.".

Amendment of section 12 of Haryana Act 25 of 2016.

3. For sub-section (3) of section 12 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The State Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, three months prior to the expiry of term of the Vice-Chancellor, which shall prepare a panel of atleast three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.".

Substitution of section 18 of Haryana Act 25 of 2016.

4. For section 18 of the principal Act, the followings section shall be substituted, namely:-

"18. Skill Council.- (1) The Skill Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over all academic and skill training policies of the University.

(2) The constitution of the Skill Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed.".

Amendment of section 24 of Haryana Act 25 of 2016.

5. For clause (h) of section 24 of the principal Act, the following clauses shall be substituted, namely:-

"(h) to keep the courses subsidized for first three years from the start of the course;

(i) to start an apprenticeship program which has fund to promote work study programmes and provide stipend to the students;

(j) to define accountabilities of all councils towards the overall performance of the University so as to accelerate the University in the direction of growth and development;

(k) mechanism for prevention of ragging of students of the University and affiliated colleges;

(l) mechanism for prevention, redressal of grievances and penalty for sexual harassment of University teachers, employees, student of the University and affiliated colleges in accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Central Act 14 of 2013);

(m) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.".

Repeal and savings.

6. (1) The Haryana Vishwakarma Skill University (Amendment) Ordinance, 2017 (Haryana Ordinance No. 3 of 2017), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

India has a huge target of skilling 400 million youth by 2020 with speed, scale and standards whereas at present India has only 2% skilled population. The country presently faces a dual challenge of severe paucity of well-trained, quality labour, as well as non-employability of large sections of the educated workforce that possess little or no job skills. Central Government has also launched various flagship Programmes such as Swachh Bharat Abhiyan, Make in India, Digital India, National Solar Mission etc. which has further created the demand of skilled man power. To promote skill development in the country, National Skill Qualification Framework has been notified by Government of India.

Realizing the need of skilled man power and to give impetus to the industry, State Government has established Haryana Skill Development Mission. Skill Development & Industrial Training Department, Haryana has been designated as Nodal Department for Skill Development in the State.

In order to effectively roll out National Skill Qualification Framework, to implement it in true letter & sprit, to place an institutional mechanism and create an institution of higher skill learning, need to set up a Skill University was felt by Government of Haryana. Accordingly, the Haryana Vishwakarma Skill University was established and incorporated by Act No. 25 of 2016 to facilitate and promote skill, entrepreneurship development, skill based education and research in the emerging areas of manufacturing, textile, design, logistics and transportation, automation, maintenance, etc. and to raise skill level in various fields related to these areas and for matter connected therewith or incidental thereto. The University is on the way ahead to offer skill courses from certificate level to Doctorate level.

The University has started its work from 1st February, 2017 by making its transit office at Gurugram. The University will be set up at its permanent site in Village Dudhola, District Palwal over more than 82 acres of land for which IRCON Infrastructure and Services Ltd. has been appointed as Project Management Consultant. The University has also released its Vision Document defining its future roadmap on 25th August, 2017 at Faridabad.

Some of the administrative staff has been recruited by the University. Required Administrative, Technical, Non Teaching and Teaching staff needs to be recruited by the University to meet its intended functions. This University being different from other general Universities/ Technical Universities of the State, therefore, its requirements for administrative staff, teaching staff and non-teaching and technical staff are different from other State Universities. Curriculum of the University at various levels needs to be designed in regular/ modular format with collaborative partnership of the industry and needs to be aligned to NSQF levels.

To effectively discharge various functions of the University as enumerated in the Act and as per National and International requirement of skill courses, the existing Act of the University needs to be amended.

VIPUL GOEL,
Industrial Training Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 21st October, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–35 एच.एल.ए.

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 7 का संशोधन।

2. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 में, खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(फ) धारा 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निदेशक, प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के अध्यापक, गैर–अवकाश शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अध्यापनेत्तर कौशल, प्रशासकीय तथा लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के पद और ऐसे अन्य पद, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, को सृजित करना तथा नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें विहित करना ;

(ब) स्थापना करना, बनाए रखना तथा प्रबन्ध करना, जब–जब आवश्यक हो,–

(क) ज्ञान संसाधन केन्द्र ;

(ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड ;

(ग) सूचना ब्यूरो ;

(घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो ;

(ङ) स्वायत्त मूल्यांकन बोर्ड ;

(म) सभी ऐसे कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषांगिक या सहायक हों।''।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3) राज्य सरकार, कुलपति की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्देशितियों को मिलाकर चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में, कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।''।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''18. कौशल परिषद्.– (1) कौशल परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक तथा कौशल प्रशिक्षण नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) कौशल परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।''।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 24 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(ज) पाठ्यक्रम के प्रारम्भ से प्रथम तीन वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को बनाए रखना ;

(झ) शिक्षुता कार्यक्रम जिसमें कार्य अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निधि है, प्रारम्भ करना तथा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के समस्त निष्पादन के प्रति सभी परिषदों की जिम्मेवारियों को परिभाषित करना ताकि विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास की दिशा में तीव्रता ला सके ;

(ट) विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की रैगिंग की रोकथाम के लिए क्रियाविधि ;

(ठ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के यौन शोषण के लिए रोकथाम, शिकायतों को दूर करने तथा शास्ति लगाने के लिए क्रियाविधि ;

(ड) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा किए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जा सकते हैं।''।

6. (1) हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत का वर्ष 2020 तक गति, पैमाने और मानकों के साथ 2020 तक 400 मिलियन युवाओं को कुशल बनाने का बड़ा लक्ष्य है, जबकि वर्तमान में भारत में केवल 2 प्रतिशत कुशल आबादी है। वर्तमान में देश अच्छा कौशल एवं गुणवान श्रमिकों की कमियों की दोहरी चुनौती का सामना करने के साथ–साथ शिक्षित मानव शक्ति का बड़ा हिस्सा, जो नाममात्र अथवा शून्य कौशल रखता है, की बेरोजगारी की समस्या का सामना भी कर रहा है। केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल सौर मिशन आदि जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की शुरूआत की है जिनके तहत कुशल श्रम शक्ति की मांग और सृजित हुई है। भारत सरकार द्वारा देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को अधिसूचित किया गया है।

कौशल मानव शक्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना की है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा को राज्य में कौशल विकास के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, इसे वास्तव में स्थापित करने तथा उच्च कौशल सिखाने की संस्था स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक कौशल विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदानुसार वर्ष 2016 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य कौशल, उद्यमशीलता विकास, कौशल आधारित शिक्षा एवं निर्माण, वस्त्र, डिज़ाईन, रसद और परिवहन आदि के क्षेत्रों की सुविधा देने एवं बढ़ावा देने का उद्देश्य है और इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल स्तर को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र स्तर से डॉक्टरेट स्तर तक के कौशल पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करवाने की ओर अग्रसर है।

इस विश्वविद्यालय ने 1 फरवरी, 2017 से गुरूग्राम में अस्थाई कार्यालय बनाकर कार्य आरंभ कर दिया है। यह विश्वविद्यालय जिला पलवल के ग्राम दुधोला में 82 एकड़ से अधिक भूमि में स्थाई रूप से स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए IRCON इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने परिकल्पना दस्तावेज दिनांक 25.8.2017 को जिला फरीदाबाद में अपने भविष्य के कार्यक्रमों हेतू जारी किया है।

विश्वविद्यालय द्वारा कुछ प्रशासनिक अमले को भर्ती कर लिया गया है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी, गैर–शिक्षण, शिक्षण स्टाफ की भर्ती की आवश्यकता है। यह विश्वविद्यालय राज्य के अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों/तकनीकी विश्वविद्यालयों से अलग होने के कारण इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारी, शिक्षण, गैर–शिक्षण तथा तकनीकी कर्मचारी की जरूरतें अन्य विश्वविद्यालयों से अलग हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की सहभागिता के साथ नियमित/मॉड्यूलर प्रारूप में डिजाईन किए जाने की एवं एनएसक्यूएफ स्तरों के साथ संबंधित होने की जरूरत है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम में वर्णित विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कौशल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय के मौजूदा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

विपुल गोयल,
औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 अक्तूबर, 2017.

आर. के. नांदल,
सचिव।